

18.9.20

संख्या- 556/एक-10-2020-33(221)/2011टी0सी0

प्रेषक,

संजय गोयल,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सेनानायक,

राज्य आपदा मोचन बल (एस0डी0आर0एफ0),

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 18 सितम्बर, 2020

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य आपदा मोचन बल उ0 प्र0 लखनऊ में नियुक्ति अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी व्यवसायिक दक्षता में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु वाहिनी मुख्यालय एवं अन्य संस्थानों में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कराये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं-एड्यू-23/2020 दिनांक 19.08.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपदा मोचन बल के व्यवसायिक दक्षता में उत्तरोत्तर वृद्धि किये जाने के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि रू0 1,65,47,013.00 लाख आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2020-21 प्रदेश में राज्य आपदा मोचन बल (एस0डी0आर0एफ0), उ0 प्र0 में नवनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का बेसिक प्रशिक्षण, स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षण, एडवान्स कोर्स एवं अवेयरनेस प्रोग्राम हेतु रू0 80.25 लाख (रुपये अस्सी लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सेनानायक, राज्य आपदा मोचन बल (एस0डी0आर0एफ0), उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

सं0	प्रशिक्षण का नाम	प्रदाता संस्थान	प्रशिक्षुओं की संख्या	प्रशिक्षण अवधि (सप्ताह में)	कुल अनुमानित व्यय (धनराशि लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6
1	एस0डी0आर0एफ0 में नव नियुक्त अधि0/कर्म0 का बेसिक प्रशिक्षण	एन0डी0आर0 एफ0	300	19	30.00
2	स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षण	कलिंगा डाइवर्स फाउण्डेशन कटक उड़ीसा	60	07	30.25
3	एडवांस कोर्स	एन0डी0आर0 एफ0	100	-	10.00
4	अवेयरनेस प्रोग्राम	-	10,000	-	10.00
योग					80.25
(धनराशि रुपये अस्सी लाख पच्चीस हजार मात्र)					

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। वित्तीय हस्त पुस्तिका/वित्तीय नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा। गृह विभाग द्वारा

यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

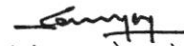
(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- 05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

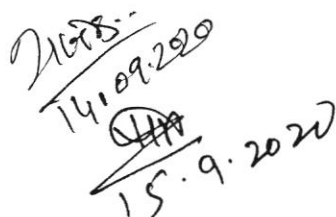
भवदीय,

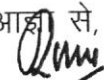

(संजय गोयल)
सचिव।

संख्या:-536(1)/एक-10-2020, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
8. गार्ड फाईल।


14.09.2020
15.9.2020

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-28/09/2020

प्रेषण संख्या:- 556
आवंटन आदेश संख्या:- 155-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2563-सेनानायक आपदा मोचन बल , लखनऊ-02-एसडीआरएफ	वर्तमान प्रगामी	8025000 8025000	8025000 8025000
	योग	वर्तमान प्रगामी	8025000 8025000	8025000 8025000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अस्सी लाख पच्चीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अस्सी लाख पच्चीस हजार

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आदेश संग्रह
उ०प्र० शास्त्र

mail: 61 जून - 28.9.2020
सायं - 05-30 P.M.
